न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटपूतली (जयपुर)

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. सत्यवीर यादव,
आर.ए.एस

प्रार्थना–पत्र संख्या :– 392/2013

1. सुरजी देवी पत्नी सोहन (फौत)
2. ओमप्रकाश रामावतार गिरधारीलाल कैलाश विनोद बाबूलाल सतीश पिता सोहन
3. गीता संजना पुत्रियां सोहन
   समस्त जातियान् चमार निवासी (लुहाकना) धूल कोट तहसील विराटनगर जिला जयपुर (राज.)

अपीलार्थीगण्

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आवंटन नियम् 1970 धारा 14(4)

निर्णय दिनांक 21-01-2020

तहसीलदार विराटनगर द्वारा अन्तर्गत धारा 14(4) आवंटन नियम 1970 के तहत् आवंटन निरस्तीकरण हेतु प्रार्थना–पत्र निम्न भांति पेश किया है, जिसके बिन्दुवार तथ्य निम्न प्रकार से हैं:–

1. यह है कि आराजी ख.नं. 312 रकबा 0.50 किस्म बारानी 3 वाके ग्राम धुल कोट तहसील विराटनगर में स्थित है, जो कि अप्रार्थी की गैर खातेदारी में दर्ज है।
2. यह है कि उपरोक्त आराजी ख.नं. 312 पर आवंटन के पश्चात् अप्रार्थी का आज दिनांक तक कब्जा काश्त नहीं है।
3. यह है कि आवंटी ने आवंटन की शर्तों की पालना नहीं की है।
4. यह है कि उपरोक्त आराजी ख.नं. 312 रकबा 0.50 किस्म बारानी 3 है, जो अप्रार्थी की गैर खातेदारी से निरस्त किये जाने योग्य है।
5. यह है कि प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आवंटन नियम 1970 की धारा 14(4) प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त आराजी ख.नं. 312 रकबा 0.50 किस्म बारानी 3 वाके ग्राम धूल कोट तहसील विराटनगर में से अप्रार्थीगण का नाम हटाया जाकर आराजी को राजकीय भूमि सिवायचक दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करावें।
6. त्हसीलदार विराटनगर से प्रार्थना–पत्र बाबत आवंटन निरस्त कराने का पेश होने पर प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण् की तल्बी हेतु नोटिस जारी किये बाद तामील अप्रार्थीगण् की ओर से श्री मामराज सैनी ऐडवोकेट उपस्थित आये।
7. अप्रार्थीगण् की ओर से जवाब पेश हुआ, प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्य इस प्रकार से पेश किये है कि आराजी ख.नं. 312 रकबा 0.50 हैक्टर किस्म बारानी 3 वाके ग्राम धूल कोट तहसील विराटगनर में स्थित है जो अप्रार्थीगण काबिज है ओर आवंटन के समय से ही अप्रार्थीगण् का कब्जा काश्त चला आ रहा है। उस पर फसल बुआई करते है और काटते है। उक्त आराजी पर कुंआ बोरिंग कर रखा है और फसले उत्पन्न करते है। अप्रार्थीगण की कब्जे काश्तशुदा भूमि है। अप्रार्थीगण ने कभी भी आवंटन की शर्तों का उल्लघंन नहीं किया है। अप्रार्थीगण उक्त भूमि पर काबिज रहकर फसल डालते है। उक्त भूमि का उपयोग व उपभोग आवंटन के पश्चात् से करते आ रहे है तथा फसल डालते है। अप्रार्थीगण् द्वारा कभी भी आवंटन की शर्तों का उल्लघंन नहीं किया है। अप्राथीगण द्वारा अपने जवाब के समर्थन में दस्तावेजों को प्रस्तुत कर अंकन करते हुए वर्णित किया है कि अप्रार्थीगण् ने आवंटन के समय से ही उक्त भूमि पर अपना कब्जा काश्त करते आ रहे है, जो प्रार्थी तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र खारिज फरमावें।
8. उभय पक्ष बहस सुनी प्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार विराटनगर ने बहस में कथन किया है कि आराजी ख.नं. 312 रकबा 0.50 हैक्टर किस्म बारानी 3 वाके ग्राम धुल कोट तहसील विराटनगर जिला जयपुर में स्थित है, जो गैर खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है।

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

Scanned with CamScanner

उक्त भूमि पर आवंटियों का कब्जा काश्त नहीं है तथा ना ही आवंटन की शर्तों की पालना की है। इसलिए अप्रार्थीगण की गैर खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। इसे निरस्त किया जावें। अतः प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आवंटन नियम 1970 धारा 14(4) प्रस्तुत कर निवेदन है कि आ.ख.नं. 312 रकबा 0.50 हैक्टर किस्म बारानी 3 वाके ग्राम धुल कोट में से अप्रार्थीगण का नाम हटाया जाकर उक्त आराजी की भूमि को राजकीय सिवायचक भूमि दर्ज किये जाने के आदेश फरमावें।

9. वकील अप्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में अप्रार्थीगण् द्वारा प्रस्तुत जवाब के बिन्दुओं को दौहराते हुए कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 312 रकबा 0.50 किस्म बारानी 3 वाके ग्राम धुल कोट तहसील विराटनगर में स्थित है। उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण काबिज है तथा आवंटन के पश्चात् से ही अप्रार्थीगण् का कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि में बुआई करते आ रहे है तथा फसल को काटते आ रहे है। आराजी में कुंआ बोरिंग कर रखा है। उक्त कब्ज काश्त भूमि में आवंटन की शर्तों का कभी भी उल्लघंन नहीं किया है। उक्त भूमि का आवंटन होने के पश्चात् से ही भूमि काश्त के रूप में उपयोग तथा उपभोग करते चले आ रहे है। कभी भी आवंटन की शर्तों का अप्रार्थीगण् द्वारा उल्लघंन नहीं किया है। जमाबंदी सम्वत् 2051–2054 में सोहन पुत्र रूडा जाति चमार सा. देह की ग्राम धुल कोट तहसील विराटनगर में गैर खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। खसरा गिरदावरी ग्राम धूल कोट सम्वत 2051 से 2054 में खरीब और रबी में ग्वार एवं चना की फसल काश्त दर्ज रिकॉर्ड है तथा खसरा गिरदावरी ग्राम धूल कोट तहसील विराटनगर में सम्वत् 2067–2070 में सोहन पुत्र रूडा के वारिसान् सुरजी देवी पत्नी सोहन ओमप्रकाश रामावतार गिरधारी कैलाश विनोद बाबूलाल सतीस पिता सोहन गीता सजना पुत्री सोहन गैर खातेदारों द्वारा उक्त ख.नं. 312 रकबा 0.50 में बाजरा की फसल काश्त की है तथा वकील अप्रार्थी द्वारा अपनी बहस में इसके अलावा यह भी अवगत कराया है कि वर्ष 2005 में धूल कोट सिचांई परियोजना में आयी भूमि के धारा 4/धारा 17 के प्रस्ताव में ख.नं. 312 में से 0.05 है0 भूमि का बनाया जाकर अवाप्ति अवार्ड प्रस्ताव में खातेदार सोहन पुत्र रूडा के नाम ख.नं. 312 में से 0.05 है0 आवंटि की राशि 10084.00 कुल देय राशि स्वीकृत हुयी थी, जिसकी भुगतान राशि भी प्राप्त कर ली गयी है। इस प्रकार उपरोक्तानुसार भूमि की काश्त आवंटन के पश्चात् से लगातार आवटी एवं उनके वारीसान् द्वारा भूमि की काश्त करते आ रहे है तथा काश्त के रूप में उक्त भूमि का उपयोग उपभोग करते आ रहे है। आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तों का कभी उल्लघंन नहीं किया है। इसलिए प्रार्थी तहसीलदार विराटनगर द्वारा आवंटन निरस्तीकरण का प्रार्थना–पत्र 14(4) खारिज फरमावें वकील अप्रार्थी द्वारा अपनी बहस के समर्थन में RBJ(8) 2001 पेज नं. 125, 1995(2) RBJ पेज नं. 733 तथा 1996(3) RBJ पेज 278 न्यायिक दृष्टान्त पेश किये है, जो संलग्न पत्रावली है।

10. पत्रावली में उभय पक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् साक्ष्य सबूत का अध्ययन कर अवलोकन किया तथा उभय पक्षों की बहस पर मनन किया तो पाया कि भूमि ख.नं. 312 रकबा 0.50 है. ग्राम धुल कोट तहसील विराटनगर मुताबिक पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार 25 वर्ष पूर्व सोहन पुत्र रूडा जाति चमार निवासी धुल कोट के नाम आवंटन हुयी थी। वर्तमान में सुरजी देवी पत्नी सोहन ओमप्रकाश रामावतार गिरधारी लाल कैलाश विनोद बाबूलाल सतीश पिता सोहन लाल गीता सजना पुत्री सोहन बलाई गैर खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त भूमि पर आवंठियों का कब्जा काश्त नहीं है तथा ना ही आवंटन की शर्तों की पालना की है। उक्त पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर ही तहसीलदार विराटनगर द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) आवंटन नियम 1970 के तहत् अप्रार्थीगण् के पिता के नाम उक्त आवंटित भूमि को निरस्तीकरण करवाने का पेश किया है। पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में यह भी कथन किया गया है कि आवंटित भूमि पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है तथा ना ही आवंटन की शर्तों की पालना की है। वर्तमान में अप्रार्थीगण् के नाम राजस्व रिकॉर्ड में गैर खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। गैर खातेदारी को निरस्त कर आ.ख.नं. 312 रकबा 0.50 है. किस्म बारानी 3 वाके ग्राम धूल कोट में से अप्रार्थी का नाम हटाया जाकर उक्त आराजी भूमि का राजकीय सिवायचक भूमि दर्ज किया जावें। अप्रार्थीगण के वकील द्वारा अपनी बहस पैरोकार सरकार के कथनों का विरोध करते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगण के पिता को जब से उक्त भूमि आवंटन हुयी थी उस समय से ही कब्जा काश्त करते आ रहे है। उक्त भूमि पर बुआई करते है तथा फसल काटते है। उक्त भूमि पर कुंआ बोरिंग कर रखा है। उक्त आवंटित भूमि का आवंटन के पश्चात् से ही उपयोग उपभोग करते आ रहे है तथा काश्त करते आ रहे है। आवंटन की शर्तों का कभी भी उल्लघंन नहीं किया है। सम्वत्2051 से 2054 में अप्रार्थीगण् के पिता सोहन के नाम गैर खातेदारी दर्ज थी खसरा गिरदावरी सम्वत 2051 से 2054 में खरीफ और रवी में ग्वार चना की फसल काश्त दर्ज

Scanned with CamScanner

रिकॉर्ड है तथा इसके पश्चात् आवंटी के वारिसान् द्वारा भी कब्जा काश्तकर फसल काश्त करते आ रहे हैं। सम्वत 2067–70 में खसरा गिरदावरी में बाजरा की फसल अंकित है। इसके अलावा बहस में यह भी कथन किया कि सिंचाई परियोजना धूल कोट वर्ष 2005 में 0.05 है. भूमि ख.नं. 312 में अवाप्त की गयी थी, जिसकी अवार्ड राशि भी प्राप्त की है। इस प्रकार कभी भी आवंटन की शर्तों का उल्लघंन नहीं किया है। हमेशा ही आवंटित भूमि का उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं।

11. चूँकि अप्रार्थीगण के पति एवं पिता के नाम आराजी खसरा नम्बर 312 में से 0.50 है. भूमि आवंटित होना साबित होता है। आवंटन के पश्चात् आवंटी सोहन के नाम से गैर खातेदारी दर्ज हुयी है, जो सम्वत् 2051–2054 में सोहन चमार सा. देह ग्राम धूल कोट तहसील विराटनगर में गैर खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त आवंटी द्वारा सम्वत् 2051–54 में खसरा गिरदावरी से खरीफ एवं रवी की फसल में ग्वार एवं चना की फसल काश्त होना प्रमाणित है तथा सम्वत् 2067–2070 में आवंटियों के वारीसान् द्वारा उक्त खसरा नम्बर में 0.50 है. भूमि पर बाजरा की फसल काश्त करना प्रमाणित है तथा वर्ष 2005 में धूलकोट सिंचाई परियोजना में अवाप्ति अवार्ड प्रस्ताव ख.नं. 312 में से 0.05 है. भूमि की स्वीकृती राशि 10084.00 कुल राशि स्वीकृत हुयी थी, जिसका भुगतान वकील ने अप्रार्थी द्वारा प्राप्त करना जाहिर किया है। इससे स्पष्ट होता है कि उक्त भूमि आवटन के पश्चात् से ही आवंटी एवं आवंटी के वारिसान द्वारा काबिज काश्त रहकर फसल काश्त करते आ रहे है तथा उक्त भूमि का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा आवंटन शर्तों की पालना का उल्लघंन नहीं किया है। इसलिए प्रार्थी तहसीलदार विराटनगर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) चलने योग्य नहीं है। इसलिए तहसीलदार विराटनगर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

12. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी तहसीलदार विराटनगर जिला जयपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) आवंटन नियम 1970 आधारहीन एवं सारहीन होने से खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार विराटनगर जयपुर को आदेश दिये जाते है कि अप्रार्थीगण् के नाम आ.ख.नं. 312 रकबा 0.45 है. किस्म बारानी 3 गैर खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है उसे गैर खातेदारी से खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें तद्नुसार पालना सुनिश्चित् हों। आदेश की प्रति तहसीलदार विराटनगर जयपुर को तहरीर के साथ भिजवायी जावें।

13. यह निर्णय आज दिनांक 21.1.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

Scanned with CamScanner